household income has estimated the percentage of people below the poverty line in rural areas of 16 States as 39 per cent in 1994.

(b) Based on the methodology outlined in the report of the Task Force on Projection of Minimum Needs and Effective Consumption Demand (1979), the incidence of poverty in the country was estimated as 18.96 per cent in 1993-94 based on the data of Sub Sample-I of National Sample Survey on Consumer Expenditure, 50th Round.

(c) The differences in the two estimates are due to the methodology adopted and the data base.

(d) The Planning Commission estimates the incidence of povety using the quinquennial National Sample Survey data on Consumer Expenditure. The incidence of poverty in 1993-94 is estimated as 35.97 per cent following the recently adopted official methodology which is based on the report of the Expert Group on Estimation of Proportion and Number of Poor.

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबद्ध बेरोजगार युवकों के निर्धारण हेतु समिति गठित करना

2806. **श्री रामजीलालः**
श्री अजीत जोगीः

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबद्ध बेरोजगार युवकों की संख्या के मूल्यांकन हेतु किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे युवकों की राज्य-वार संख्या कितनी है और यदि उपर्युक्त भाग "क" का उत्तर नहीं हो तो क्या ऐसा आकलन किया जाएगा; और

(ग) सरकार द्वारा उन युवकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु क्या नई कार्यवाही और पहल की गई है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार भगतराम अलघ): (क) से (ग) अनु.जाति/अनुजनजाति के बेरोजगार युवाओं को संख्या के मूल्यांकन हेतु कोई समिति गठित नहीं की गई है और इस समय ऐसी कोई समिति गठित करने का प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, मौजूदा गरीबी उन्मूलन स्कीमों के लाभ, जो रोजगार मुहैया कराती है, अनु.जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सहित सभी ही प्राप्त हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराने वाली प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना तथा रोजगार आश्वासन स्कीम/जनसंख्या के कमजोर वर्गों का पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित करने के लिए इन गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में विशेष एहतियाती कदम उठाए जाते हैं। आईआरडीपी के अन्तर्गत इस बात पर विचार किया जा रहा है कि कवर किए गए लाभ ग्राहियों में से 50% अनु. जातियों तथा अनु. जनजातियों से संबंधित होने चाहिए। जेआरवाई तथा इएएस के तहत गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्ति लक्षित समूह में आते हैं, जिसमें से अनुसूचित जातियों, अनु. जनजातियों तथा मुक्त बन्धुआ मजदूरों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। शहरी विकास सेक्टर में दो शहरी गरीबी उन्मूलन स्कीमें चल रही हैं ये हैंः नेहरू रोजगार योजना एवं प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम/प्रधानमंत्री की रोजगार योजना केन्द्रीय योजना स्कीम के रूप में कार्यान्वित की जा रही है ताकि ग्रामीण तथा शहरी, दोनों क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। पीएमआरवाई के अन्तर्गत, अनु.जाति/अनु.जनजाति लाभग्राहियों के लिए 22.5% आरक्षण का प्रावधान है। कल्याण मंत्रालय आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण संबंधी एक स्कीम कार्यान्वित करता है, जो आदिवासी युवाओं को रोजगार/स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है।

केन्द्रीय योजनाओं में विलंब होना

2807. **श्री नागमणिः**
श्री ईश दत्त यादवः

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि विलंबित केंद्रीय योजनाओं की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारणों सहित उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि विभिन्न विभागों में समन्वय नहीं रहने के कारण ऐसी विलंबित योजनाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो उन विभागों के नाम क्या हैं और इन योजनाओं के विलंब के लिए जिम्मेदार कारक कौन-कौन से हैं;

(ङ) इन योजनाओं को समय पर चलाने हेतु सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं और सरकार को इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार भगतराम अलघ): (क) कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार केंद्रीय क्षेत्र की 20 करोड़ रुपए और उससे अधिक की लागत वाली निर्माणाधीन परियोजनाओं की कुल संख्या तथा विगत चार वर्षों की अवधि में विलंब से चल रही परियोजनाओं की संख्या निम्नलिखित है:

		दिनांक			
		1.4.93	1.4.94	1.4.95	1.4.96
1.	परियोजनाओं की कुल सं॰	352	371	370	401
2.	अद्यतन अनुमोदित समयावधि के संदर्भ में विलंबित परियोजनाएं	188	200	214	199
3.	कुल का प्रतिशत	53.41	53.91	57.84	49.63

(ख) से (घ) निधियों की कमी, भूमि अधिग्रहण में विलंब, ठेके पर कार्य सौंपने में देरी और उपकरणों के सप्लायरों और ठेकेदारों द्वारा की जाने वाली देरी आदि जैसी विभिन्न समस्याओं के कारण परियोजनाएं विलंबित हो जाती हैं।

(ङ) परियोजनाओं के क्रियान्वयन की गति में सुधार लाने के वास्ते आम तौर पर किए जाने वाले उपाय विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

परियोजना की वास्तविक लागत का आकलन तैयार करने और उसके क्रियान्वयन को सुचारू बनाने के वास्ते सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय

(1) चरण-1 में पर्याप्त तैयारी, पर्यावरणीय तथा अन्य विकासी पत्र और आधारी संरचना संबंधी आयोजना सुनिश्चित करने हेतु तथा चरण-2 में क्रियान्वयन के वास्ते किसी परियोजना को अंतिम रूप से अनुमोदित करने से पहले परियोजना का द्वि-स्तरीय अनुमोदन।

(2) विभिन्न स्तरों पर कठिनाइयों का पता लगाने तथा उनके संबंध में उपचारात्मक कदम उठाने के लिए परियोजनाओं का नियमित अंतरालों पर समुचित प्रबोधन।

(3) परियोजना प्राधिकरणों और प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा प्रगति की गहरी समीक्षा।

(4) ठेका संबंधी कार्यों को शीघ्र अंतिम रूप देने, भूमि अधिग्रह तथा अन्य समस्याओं के सामाधान के लिए कार्यदलों/उच्चाधिकार प्राप्त समितियों का गठन।

(5) विलंब न्यूनतम हो सके, इसके लिए संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों एवं परियोजना प्राधिकरणों द्वारा राज्य सरकार, उपकरणों के सप्लायरों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं तथा अन्य संबद्ध अभिकरणों के साथ गहन अनुवर्ती कार्रवाई।

(6) अंतर-मंत्रालयीय समन्वय।

सौराष्ट्र के पिछड़े जिलों का विकास

2808. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सौराष्ट्र के कच्छ, जामनगर, जूनागढ़, सुरेन्द्रनगर, अमरेली, भावनगर और राजकोट जिले